

## आवंटनादेश

बिहार सरकार,  
श्रम संसाधन विभाग

प्रेषक,

गोपाल मीणा,  
श्रमायुक्त, बिहार ।

सेवा में,

श्रमायुक्त के सचिव ।

पटना, दिनांक:-

24.5.17

विषय:- मुख्य शीर्ष-2230-श्रम तथा रोजगार-उप मुख्य शीर्ष-01-श्रम-लघु शीर्ष-101-औद्योगिक संबंध-  
मांग सं.-26-उपशीर्ष-0108-श्रम अधिनियमों के क्रियान्वयन हेतु प्रवर्तन तंत्र का सुदृढीकरण  
(विपत्र कोड-26-2230011010108) के अन्तर्गत निधि का आवंटन ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-2812 दिनांक-16.05.17 के आलोक में चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में 31 मार्च, 2018 तक व्यय के निमित्त श्रम अधिनियमों के क्रियान्वयन हेतु प्रवर्तन तंत्र का सुदृढीकरण योजनान्तर्गत 1. विषयशीर्ष-0108.13.01 कार्यालय व्यय से बेल्ट्रॉन के माध्यम से /बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2005 के नियम 131 'ग' के आलोक में कलर प्रिंटर, ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर, यू.पी.एस., हार्डस्पीड स्कैनर हेतु एवं 2. विषयशीर्ष-0108.20.02 कॉन्फ्रेंस, कार्यशाला, सेमिनार से मुख्यालय/अन्य स्तर पर आयोजित होनेवाले कॉन्फ्रेंस, कार्यशाला, सेमिनार हेतु तथा 3. विषयशीर्ष-0108.20.03 प्रशिक्षण व्यय से बिपार्ड में नवनियुक्त श्रम प्रवर्तन पदाधिकारियों के गैर आवासीय सांस्थिक प्रशिक्षण पर हुए संभावित व्यय हेतु एवं 4. विषयशीर्ष-0108.26.01 विज्ञापन और प्रकाशन से श्रम संदर्भ पुस्तिका के छपाई पर व्यय एवं नियोजन भवन के सामने होर्डिंग, बोर्ड, स्टैन्डी लगवाने हेतु श्रमायुक्त के सचिव को निम्न प्रकार से आवंटन किया जाता है-

13 कार्यालयी व्यय	20- अन्य प्रशासनिक व्यय		26 विज्ञापन और प्रकाशन	योग-26-2230.01.101. 0108-श्रम अधिनियमों के क्रियान्वयन हेतु प्रवर्तन तंत्र का सुदृढीकरण
0108.13.01 कार्यालय व्यय	0108.20.02 कॉन्फ्रेंस, कार्यशाला, सेमिनार	0108.20.03 प्रशिक्षण व्यय	0108.26.01 विज्ञापन और प्रकाशन	
1	2	3	4	5
500000	200000	300000	300000	1300000

कुल आवंटित राशि ₹ 13,00,000/- (₹ तेरह लाख) मात्र ।

- यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक-428/वि0 दिनांक-31.03.17, पत्रांक-3002/वि0 दिनांक-26.04.2017 एवं वित्त आयुक्त के स्थायी ज्ञापांक-2561/वि0 (2) दिनांक 17.04.98 के आलोक में है ।
- इस आवंटित राशि से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जाय । यदि आवंटित राशि से अधिक व्यय किया जाता है तो वह अनियमित होगा ।
- आवंटित राशि का व्यय संबंधित विपत्रों को जाँच कर नियमानुसार ही की जाय ।
- आवंटित राशि से हुए व्यय की सूचना आवश्यक टी0भी0 नं0 तथा तिथि के साथ निकासी के उपरांत अबिलम्ब निश्चित रूप से उपलब्ध करा दे ।
- यह आवंटन राज्य योजना से संबंधित है ।

विश्वासभाजन,

24/05/17

(गोपाल मीणा)

श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक:- 6/एफ1-303/17 श्र0सं0:-

पटना, दिनांक

24.5.17

प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

24/5/17

(गोपाल मीणा)

श्रमायुक्त, बिहार ।

ज्ञापांक:- 6/एफ1-303/17 श्र0सं0:-

पटना, दिनांक

24.5.17

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ प्रमंडलीय आयुक्त, पटना/ जिला पदाधिकारी, पटना/ कोषागार पदाधिकारी, विकास भवन, नया सचिवालय, पटना/आई.टी. मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा-2 सरकार पक्ष/लेखा शाखा (श्रम पक्ष)/बजट शाखा, प्रशाखा-06(श्रम पक्ष) /व्यय विवरणी शाखा प्रशाखा-6(श्रम पक्ष) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

24/5/17

(गोपाल मीणा)

श्रमायुक्त, बिहार ।